प्रतिबन्ध (284 फ्लैट्स हेतु)

1. भू-स्वामित्व तथा भूमि संबंधित विवाद के सम्बन्ध में अभियंता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के जिस खसरा नम्बर का भवनिक्षेत्र प्राप्त हुआ की भूमि व अन्य भी भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पूर्णक्षेत्र/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
2. वर्तमान डाक्यूमेंट के क्रम में टीएस कंप्लीट प्लान के अनुसार सुझावित अभिन्यास होगा।
3. डाक्यूमेंट के अनुसार लगने वाले मूलभूत विकेशो निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
4. टीएस कंप्लीट प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुसार लगाए गए पौधे किया कार्य पूर्ण करने होंगे।
5. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।
6. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7. पेयजल सार्वजनिक पूर्व सीवर नेटवर्क विस्तार का लगत पर अधिग्रहण शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
8. लेबर एक्ट का अनुपालन करना होगा।
9. स्पष्ट पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं क्षमताधित भूखिजनों का विकास करना होगा।
10. स्पष्ट पर मानचित्र संबंधित समस्यों मुकदमा प्रकाश होगा।
11. यदि कोई दीवानी निकायती है तो प्रार्थिकरण द्वारा पीने वाले पर अतिरिक्त जल करना होगा।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन/ग्राम्य लखनऊ द्वारा दिये जाने वाले अभिन्यास/मुद्रांक/ संशोधन (यदि हो) को सम्मलित किये हुए पुनः संशोधित मानचित्र स्वीकृत करना होगा।
13. यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायगा।
14. यदि मानचित्र के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रयास पाया जाता है तो उसका पंजीकरण निरस्तीकरण एवं विकास अभिन्यास [illegible] की कार्यवाही की जायेगी।

भवन मानचित्र उपरांत प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि वे विकास अभिन्यास भूमि प्रिजेन्टल प्लानिंग के लिए निर्गत नहीं है।

38942
12-10-2015
11-10-2025
विकास क्षेत्र, लखनऊ

अवर अभियन्ता
(डा०/ई०सेल)
लखनऊ विकास प्राधिकरण

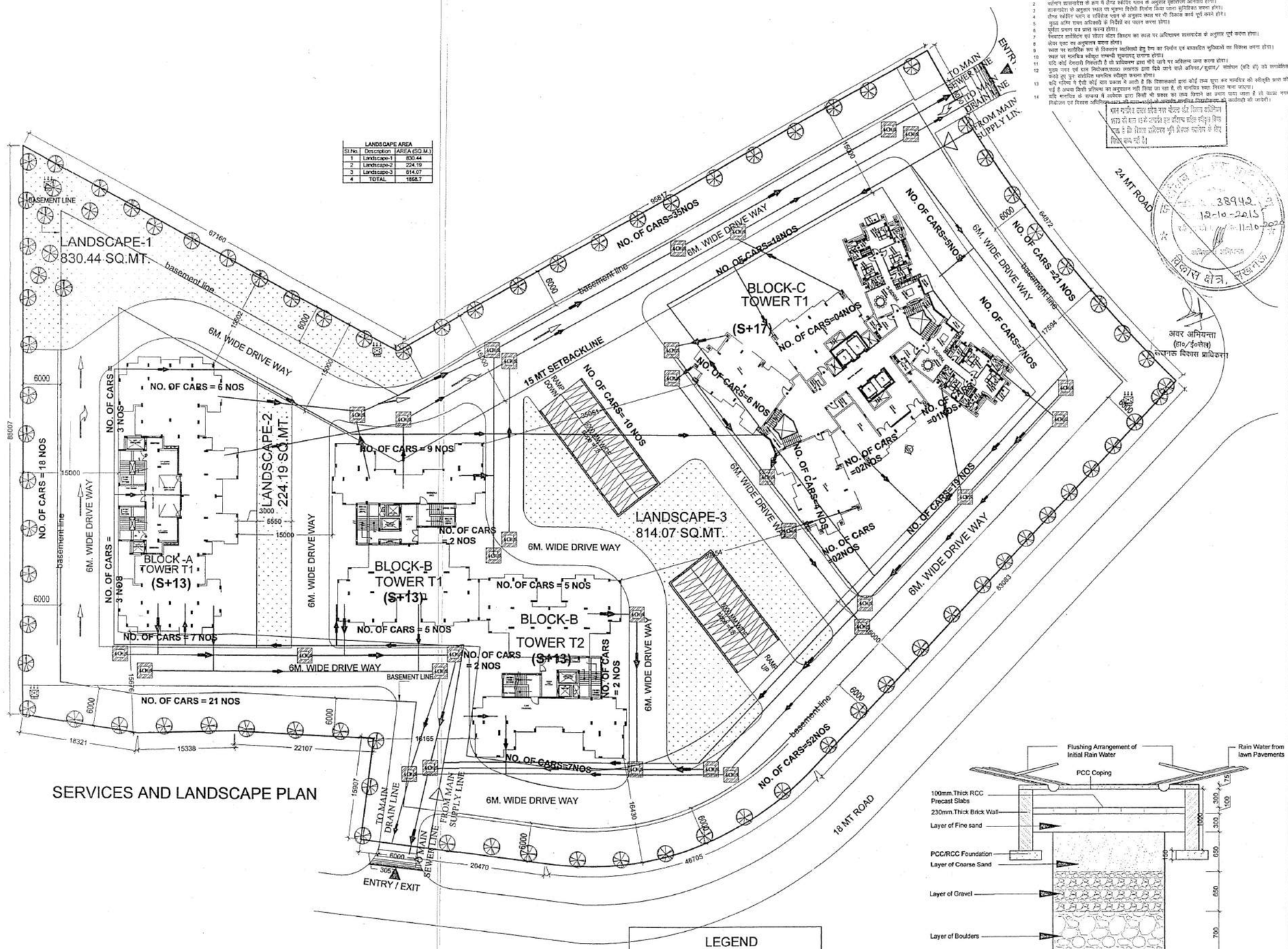

SERVICES AND LANDSCAPE PLAN

LANDSCAPE AREA		
Sl.No.	Description	AREA (SQ.M.)
1	Landscape-1	830.44
2	Landscape-2	224.19
3	Landscape-3	814.07
4	TOTAL	1868.7

LEGEND	
	DRAINAGE LINE
	HARVESTING WELL
	SEWER LINE
	WATER SUPPLY LINE
	MANHOLE

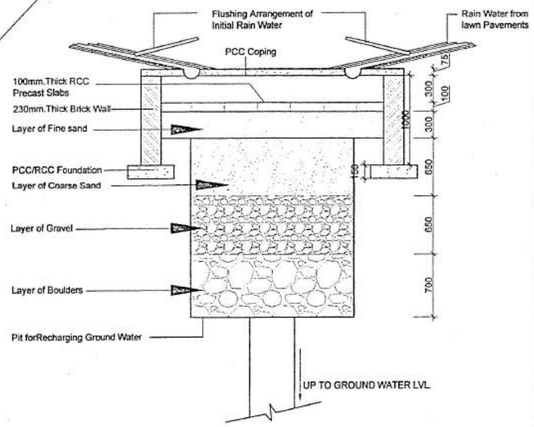

RAIN WATER HARVESTING

PROJECT TITLE:

PROPOSED GROUP HOUSING-2 SITUATED AT INTEGRATED TOWNSHIP AT BAGHAMAU VILLAGE ,LUCKNOW

KEYPLAN:

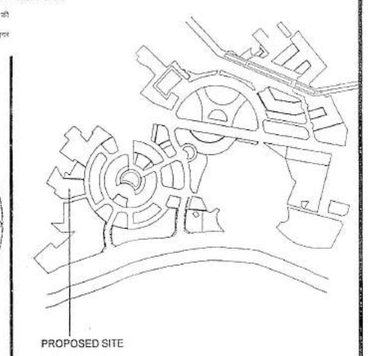

NORTH:

NOTE:

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2021 तथा भवन उपविधि 2008 तथा सम्यक शासनादेशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

DRAWING TITLE:

SERVICES & LANDSCAPE PLAN

DRAWING NO:

ANS/GH-2/SUB/02

SCALE	1:300	DATE	28 MAY 2015
DRAWN		CHECKED	
PAPER		ISSUED	

CLIENT:

M/S. ANS Developers Pvt. Ltd.
(Lead Member of Consortium of ANS Constructions Ltd.)
ANS House, 144/2/Ashram
Mathura Road, New Delhi

DEVELOPER:

M/S. ANS Construction Ltd.
M/S. ANS Developers Pvt. Ltd.

COORDINATING ARCHITECT:

42mm
D 102 Dr. Ambedkar Colony,
Andheria Modh,New Delhi

SUBMISSION CONSULTANT:

BADE

PRAVEEN KUMAR PATEL
ARCHITECT
CA/2012/54015

2/8

प्रतिबन्ध (284 पलैदस हेतु)

1 भू-स्वामित्व तथा भूमि भार-निबन्ध के सम्बन्ध में प्राधिकरण को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता संपत्त उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य का करेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विक्रेताकर्ता/बन्धकी के नाम है। भूखण्ड के जिस खसरा नम्बर का स्वामित्व उस समय की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विक्रेताकर्ता के पास में नहीं है उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विक्रय कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।

2 मानित मानचित्र के क्रम में टीएच स्कीमिंग प्लान के अनुसार मूलयोजना अनिवार्य होगा।

3 शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूतल विद्युत निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

4 टीएच स्कीमिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।

5 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।

6 पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

7 रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।

8 लेवल एक्स का अनुपालन करना होगा।

9 स्थल पर सार्वजनिक रूप से विद्युतीय सार्वजनिक हेतु रैम्प का निर्माण एवं मानवरहित सुविधाओं का विकास करना होगा।

10 स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्पत्ती भूमगम्य होगा।

11 यदि कोई रेनपानी निकासी है तो प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर अविलम्ब उपलब्ध कराना होगा।

12 मुख्य मार्ग एवं उप्प निर्माण/कार्य संचालन द्वारा किये जाने वाले अतिक्रमण/सुधार/संरक्षण (यदि हो) को समाप्त करते हुए पुनः सार्वजनिक मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।

13 यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्राविधान का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र तत्काल निरस्त माना जायगा।

14 यदि मानचित्र के सम्बन्ध में अनेकक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाये जा अथवा भ्रामक पाया जाता है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15(6) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवन मानचित्र स्वीकृति संबंधी उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस मानचित्र सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास अधिकरण भूमि के स्वामित्व के लिए जिम्मेदार नहीं है।

अवर अभियन्ता
(ता0/ई0सेल)
लखनऊ विकास प्राधिकरण

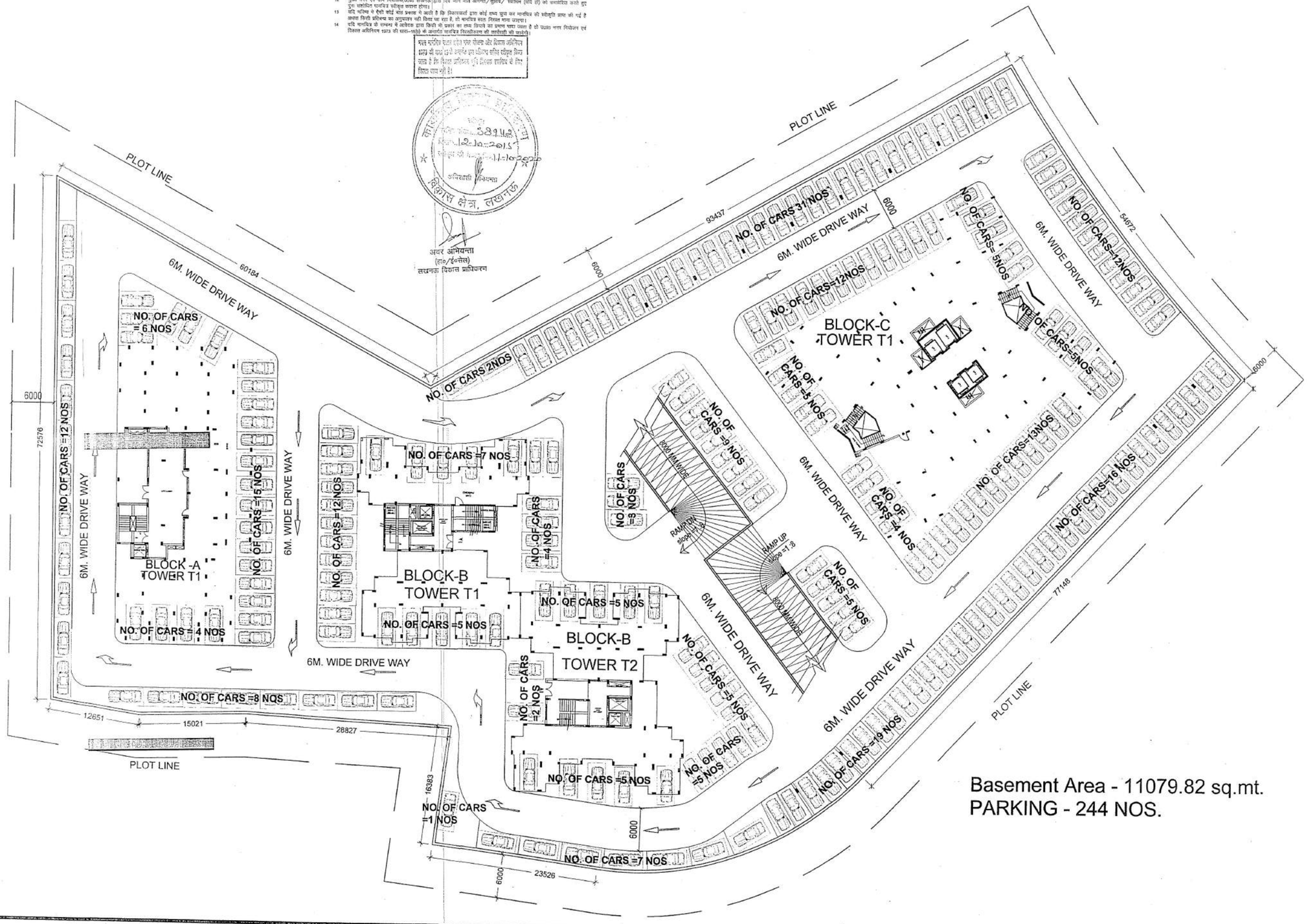

Basement Area - 11079.82 sq.mt.
PARKING - 244 NOS.

PROJECT TITLE:

PROPOSED GROUP HOUSING-2 SITUATED AT INTEGRATED TOWNSHIP AT BAGHAMAU VILLAGE ,LUCKNOW

KEYPLAN:

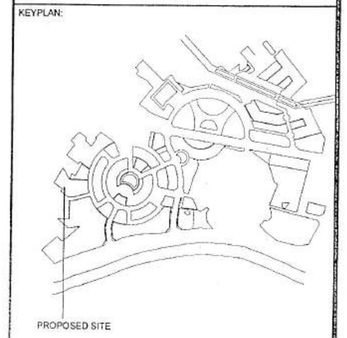

NORTH:

NOTE:

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2021 तथा भवन उपविधि 2008 तथा सम्यक शासनादेशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

DRAWING TITLE:

BASEMENT PLAN

DRAWING NO:

ANS/GH-2/SUB/03

SCALE	1:300	DATE	28 MAY 2015
DRAWN		CHECKED	
PAPER		ISSUED	

CLIENT:

M/S. ANS Developers Pvt. Ltd.
(Lead Member of Consortium of ANS Constructions Ltd.)
ANS House, 144/2/Ashram
Mathura Road, New Delhi

DEVELOPER:

M/S. ANS Construction Ltd.
M/S. ANS Developers Pvt. Ltd.

COORDINATING ARCHITECT:

42mm
D 102 Dr. Ambedkar Colony,
Andheria Modh,New Delhi

SUBMISSION CONSULTANT:

BADC

PRAVEEN KUMAR PATEL
ARCHITECT